न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 77/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/153

दायर दिनांक :– 14.05.2024 **निर्णय दिनांक :–** 09.01.2025

1. उम्मेदसिंह पुत्र मोडसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. कोमलकंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
2. जनककंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
3. धर्मवीरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
4. कोमलकंवर पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
5. मनोहरकंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
6. बसन्तकंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
7. गजूकंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
8. हवलेश कंवर पुत्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी दुर्गाणी तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। ग्राम दुर्गाणी पटवार हल्का टेपू तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 7.3005 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 87 रकबा 11.7682 हैक्टेयर भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 194 रकबा 7.3005 हैक्टेयर भूमि के पूर्व खातेदार सुगनकंवर पत्नी मोडसिंह का 1/6 हिस्सा व खसरा नम्बर 87 रकबा 11.7682 हैक्टेयर में सुगनकंवर पत्नी मोडसिंह का 1/3 हिस्सा था। सुगनकंवर ने अपने जीवनकाल में अपने नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमि का प्रार्थी उम्मेदसिंह के पक्ष में पंजीबद्व वसीयतनामा दिनांक 15.03.2013 को तहरीर करवाकर उप पंजीयक कार्यालय अहमदाबाद में पंजीबद्व करवा दिया

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

था और सुगनकंवर पत्नी मोडसिंह के फौत होते ही उक्त वसीयतनामा प्रभाव में आ चुका है। जब वसीयतकर्ता सुगनकंवर पत्नी मोडसिंह फौत हुई तो खसरा नम्बर 194 रकबा 7.3005 हैक्टेयर भूमि में मुतवफी सुगनकंवर के 1/6 हिससा भूमि में विरासत नामान्तरकरण संख्या 472 मौजा दुर्गाणी व खसरा नम्बर 87 रकबा 11.7682 हैक्टेयर भूमि में मुतवफी सुगनकंवर के 1/3 हिस्सा भूमि में विरासत नामान्तरकरण संख्या 465 मौजा दुर्गाणी वसीयतनामा के प्रभाव में रहते हुवे सरासर गलत रूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के पक्ष में भरे जाकर स्वीकृत किये गये जबकि मुतवफी सुगनकंवर के फौत होने पर सुगनकंवर के हिस्से की भूमि माफिक वसीयतनामा अनुसार प्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जानी चाहिए थी। मुतवफी सुगनकंवर द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत कर दी गई थी इसलिये सुगनकंवर के अन्य वारिसान का सुगनकंवर के नाम दर्ज भूमि में कानून कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी पटवारी हल्का ने सरासर गलत रूप से नामान्तरकरण संख्या 465 व 472 मौजा दुर्गाणी भरवाकर स्वीकृत करवा दिये जो नामान्तरकरण सरासर गलत एवं प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य है। उक्त गलत राजस्व इन्द्राजात के आधार पर अमरसिंह पुत्र मोडसिंह के नाम हिस्से से अधिका भूमि दर्ज कर दी गई और मुतवफी अमरसिंह का विरासत नामान्तरकरण संख्या 475 मौजा दुर्गाणी अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में हिस्से से अधिक दर्ज भूमि में सरासर गलत रूप से स्वीकृत कर दिया गया। प्रार्थी नामान्तरकरण संख्या 465, 472 व 475 मौजा दुर्गाणी को खारित करवा कर माफिक वसीयतनामा अनुसार ग्राम दुर्गाणी के खरा नम्बर 194 रकबा 7.3005 हैक्टेयर भूमि में 1/6 हिस्सा अनुसार व खसरा नम्बर 87 रकबा 11.7682 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावे कि प्रार्थी के अपने हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 8 की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

09/01/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

09/01/25

(सुखराम पिपाडेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)